



Online Public Data Entry Summary

UKPDE2024090300396

DISTRICT NAME :दिहरी गढ़वाल SRO :जाखणीधार

उत्तराखण्ड शासन

UKPDE2024090300396 From 16 Feb 2023

31-Jul-2024

12:03:4

Appointment Date: 31 Jul 2024

Appointment Time:12:30 p.m to 01:30 p.m

Appointment TokenNo:2

Deed/Article Type :Lease

Sub-Deed/Sub-Article :Lease(Not Exceeding 30 years)

Village/Location For Index :खान्दी -B.4.जाखणीधार-गराकोट मोटर मार्ग

Village/Location/Road Selected for Circle RateList :खान्दी -B.4.जाखणीधार-गराकोट मोटर मार्ग

Khewat :

Khatoni

:00013 00024

Khasra

:681 694 695 664 666 665 667 668 669 685 686 687

House/Flat No:

Area

:2,820.0000 वर्ग मीटर

Latitude

Longitude 0.0000000000

Land Value

:0.00

Construction Value :0.00

Transaction Value :0.00

Market Value :0.00

Advance

:0.00

Lease Period :27.00

Avg. Rent

:5,386.46

Stamp Duty :7,800.00

Regn Fees :3,880.00

Pasting Fees

:100

Page

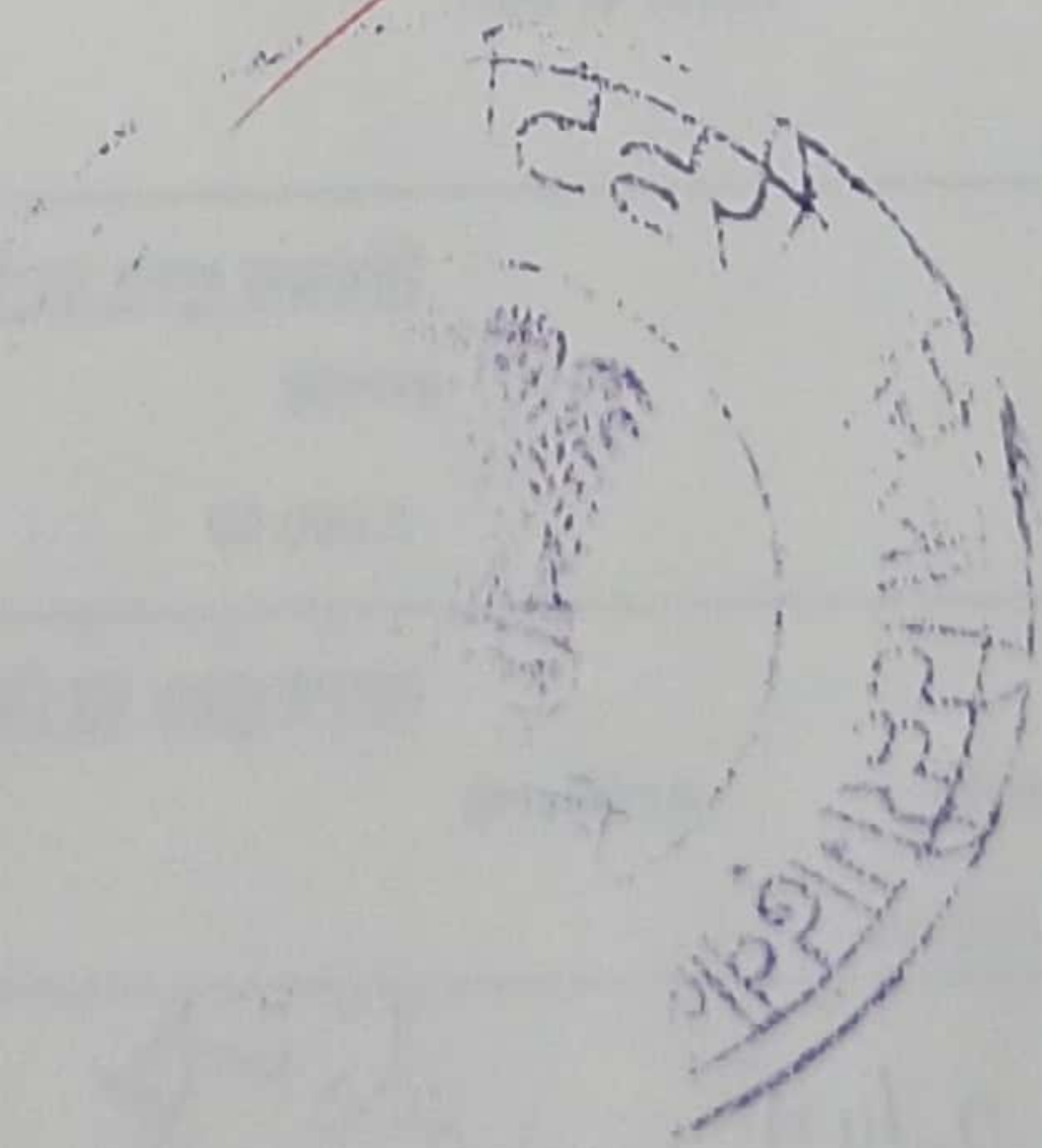
:28

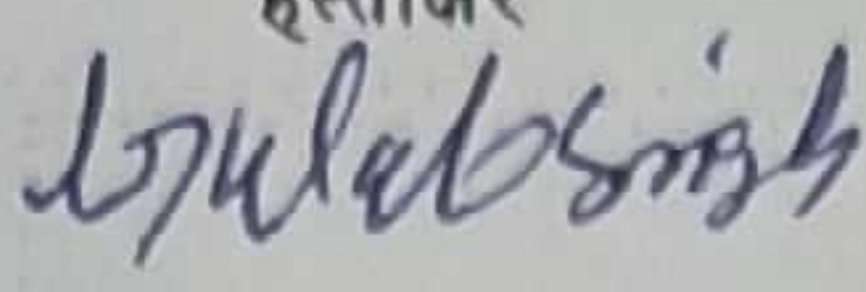
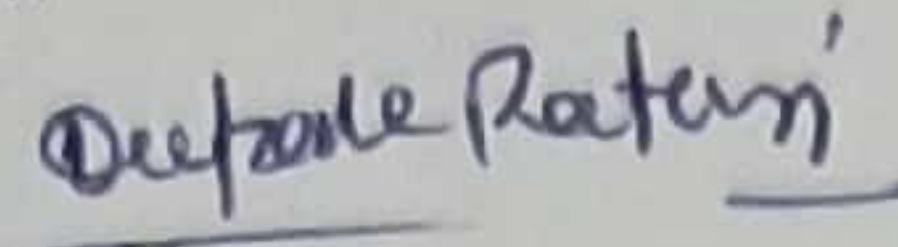
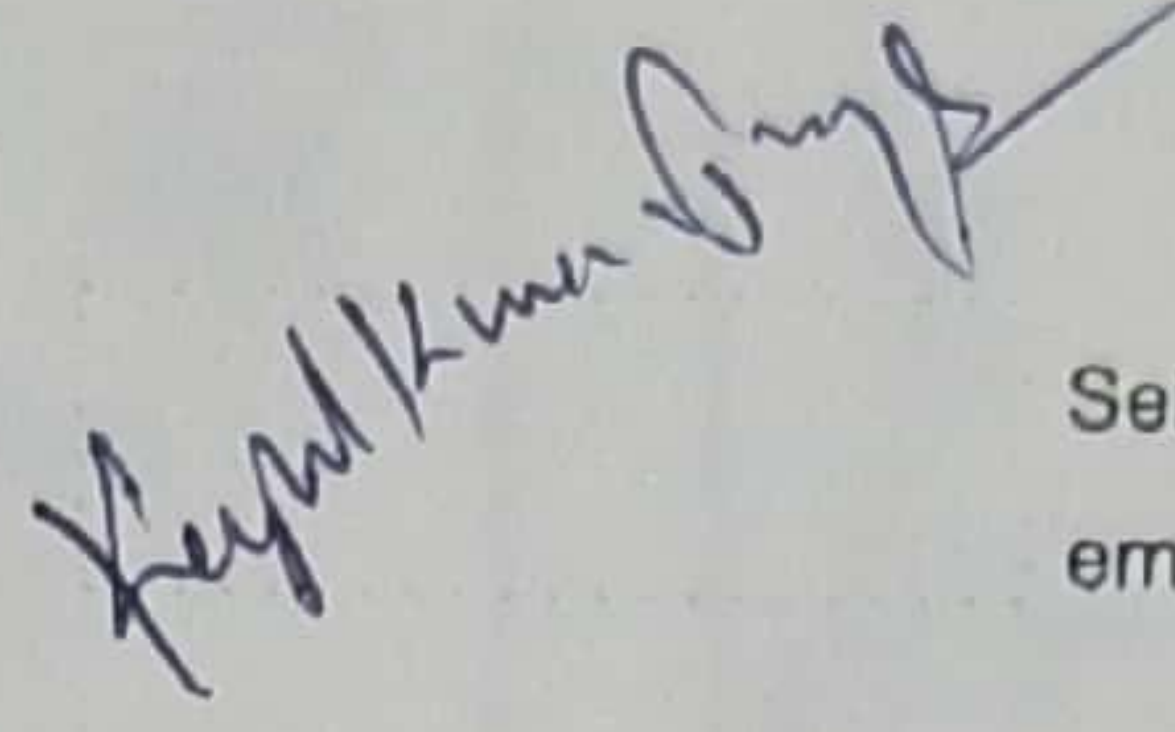
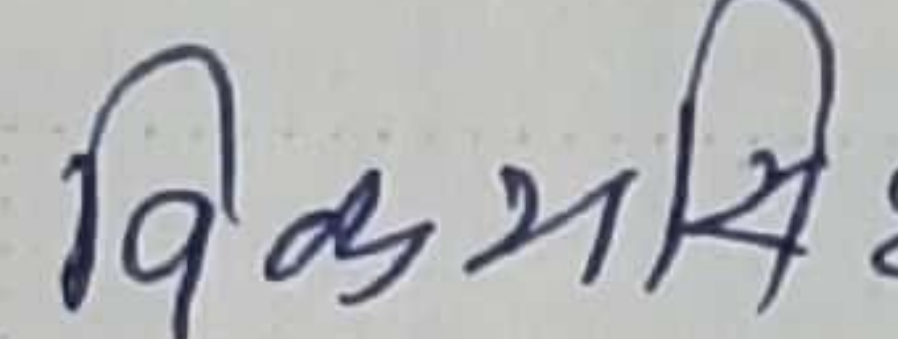
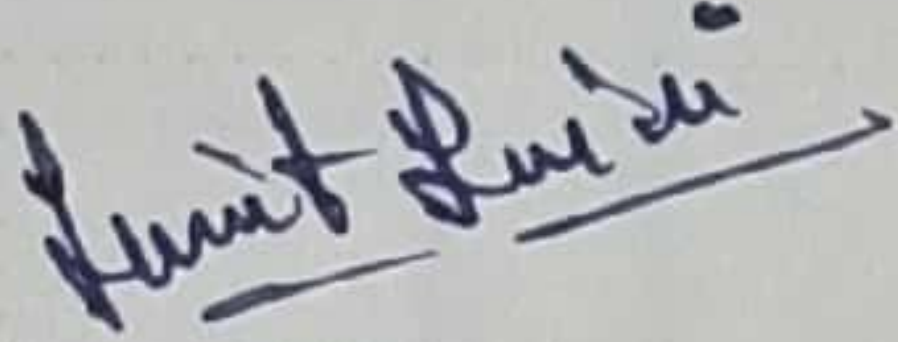
व्यवसायिक निर्माण का विवरण					
क्र.सं	निर्माण का प्रकार	क्षेत्रफल			
आवासीय निर्माण का विवरण					
क्र सं	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण तल	ह्रास वर्ष	रकबा
निबंधक शुल्क का विवरण					
क्र सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक		
1	Cash	3,880.00			
स्टाम्प शुल्क का विवरण					
क्र सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक	जारी दिनांक	स्टांप विक्रेता आईडी
1	e-Stamp	7,800.00	-	31-Jul-2024	15

Inspection

Deputy Registrar

Kept Kuma Gang



पक्षकार का प्रकार		पक्षकारों का विवरण				
पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का विवरण	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पैन नं	मोबाइल नं	पहचान पत्र संख्या
विक्रेता / प्रथम पक्ष	श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री मदन सिंह निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील-जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड, हाल-वार्ड सं ०-०३, जोगियाना, अहूरवाला, देहरादून जिला देहरादून Email : gulabsingh0016@gmail.com		Self employed		9719537477	ADHAAR : 581944779175
विक्रेता / प्रथम पक्ष	श्री दीपक पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील-जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड Email :deepaksingh4316@gmail.com		Self employed		8755219044	ADHAAR : 915285346673
क्रेता / द्वितीय पक्ष	श्री कपिल तनेजा पुत्र श्री अमरनाथ निवासी ०/१, कृष्णा नगर, पोस्ट-गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार जिला हरिद्वार Email :kapiltaneja2ntt@gmail.com		Self employed		9837246156	ADHAAR : 314474395391
गवाह	श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील-जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड		Self employed		9897501756	ADHAAR : 460529151389
गवाह	श्री सुमित सैनी पुत्र श्री सतीश कुमार निवासी ८५, निजामपुर, हरिद्वार जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड		Self employed		9675988009	ADHAAR : 278921295430

Deed Writer /Advocate Name :D.Dumoga Adv.

द्वितीय

प्रमाणित

३ अक्टूबर

प्रमाणित





भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



गुलाब सिंह
Gulab Singh
जन्म तिथि / DOB: 02/02/1968
पुरुष / MALE

Gulab Singh



5619 4477 9175

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:
S/O मदन सिंह, वार्ड नंबर 03, जोगियाना,
अठरवाला, देहरादून, उत्तराखंड - 248001



Address:
S/O Madan Singh, ward no.03, jogiyana,
- Athhoorwala, Dehradun, Uttarakhand -
248001

5619 4477 9175



1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

PO Box No. 1947
Dehradun, Uttarakhand - 248001



भारत सरकार
Government of India



Aadhaar No. issued: 24/02/2013



दीपक रतुरी
Deepak Raturi
जन्म तिथि/DOB: 10/07/1994
पुरुष/ MALE

Deepak Raturi

आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं।
इसका उपयोग सत्यापन (ऑनलाइन प्रमाणीकरण, या ययूआर कोड/
ऑफलाइन एक्सएमएल को स्कैनिंग) के साथ किया जाना चाहिए।
Aadhaar is proof of identity, not of citizenship
or date of birth. It should be used with verification (online
authentication, or scanning of QR code / offline XML).

9152 8534 6673

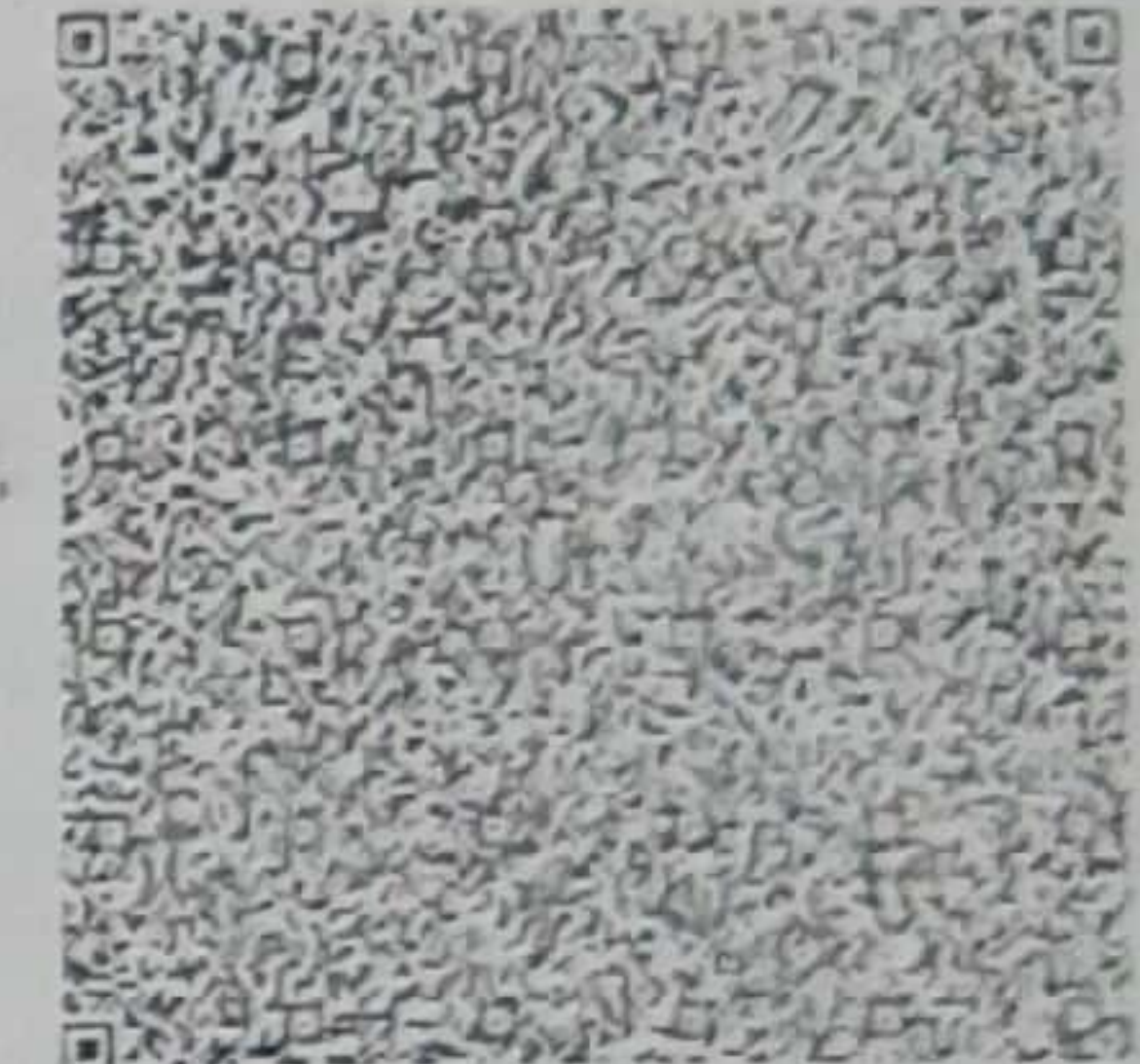
मेरा आधार, मेरी पहचान



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India



पता:
S/O: ओम प्रकाश रतुरी, खंडी माया काफाली, जखनधर,
टिहरी गढ़वाल,
उत्तराखंड - 249123



Address:
S/O: Om Parkash Raturi, Khandi Maya Kafali,
PO: Jakhnidhar, DIST: Tehri Garhwal,
Uttarakhand - 249123

9152 8534 6673

VID : 9108 3581 4783 4780

1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in



भारत सरकार
Government of India



कापिल तनेजा
KAPIL TANUJA
पिता : अमर नाथ
Father: AMAR NATH
जन्म तिथि / DOB: 10/08/1970
पुरुष / Male

Kapil Tanuja



3144 7439 5391

आधार - आम आदमी का अधिकार



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: ०/१ कृष्णनगर, पो.गुरुकुल
कांगड़ी, हरिद्वार, गुरुकुल कांगड़ी,
उत्तराखंड, 249404

Address: 01 KRISHNANAGAR,
P.O.GURUKUL KANGADI, Haridwar,
Gurukul Kangri, Haridwar, Uttarakhand
249404

3144 7439 5391

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in



भारत सरकार
Government of India



Issue Date : 05/09/2013



विक्रम सिंह
VIKRAM SINGH
जन्म तिथि / DOB : 15/05/1983
पुरुष / Male

विक्रम सिंह

4605 2915 1389

मेरा आधार, मेरी पहचान



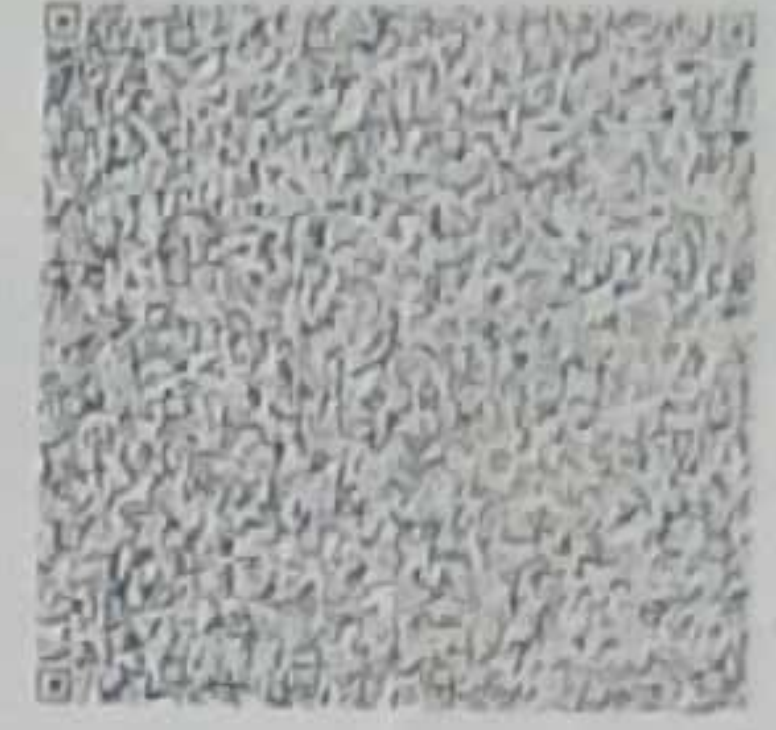
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India



Print Date : 16/07/2023

पता: जाखणीधार, खांदी मय मरोडा, खंडी माया
काफाली, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड, 249123

Address: JAKHNI DHAR, khandi may
maroda, Khandi Maya Kafali, Tehri
Garhwal, Uttarakhand, 249123



4605 2915 1389

1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in



भारत सरकार
Government of India



Issue Date : 22/02/2014



सुमित सैनी
Sumit Saini
जन्म तिथि/DOB: 06/07/1998
पुरुष/ MALE

Sumit Saini

2789 2129 5430

VID : 9170 5987 1646 0133

मेरा आधार, मेरी पहचान



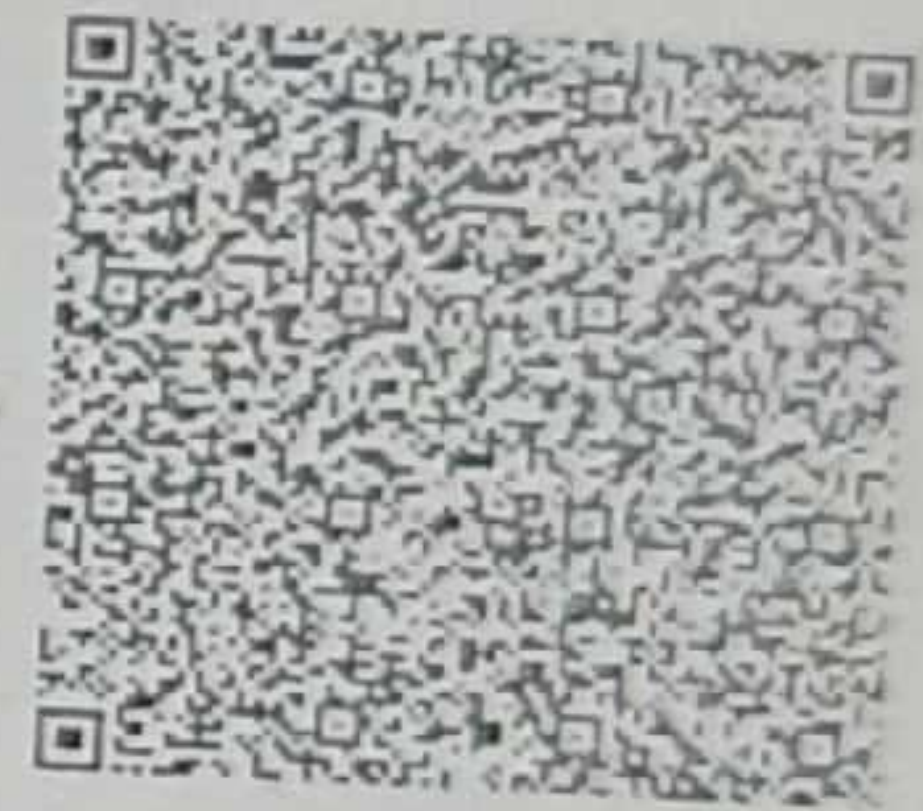
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India



Download Date : 21/12/2021

पता: S/O सतीश कुमार, 85, निज़ामपुर, निजामपुर, हरिद्वार,
उत्तराखंड - 247670

Address: S/O Satish Kumar, 85, nizampur, Nizampur,
Haridwar,
Uttarakhand - 247670



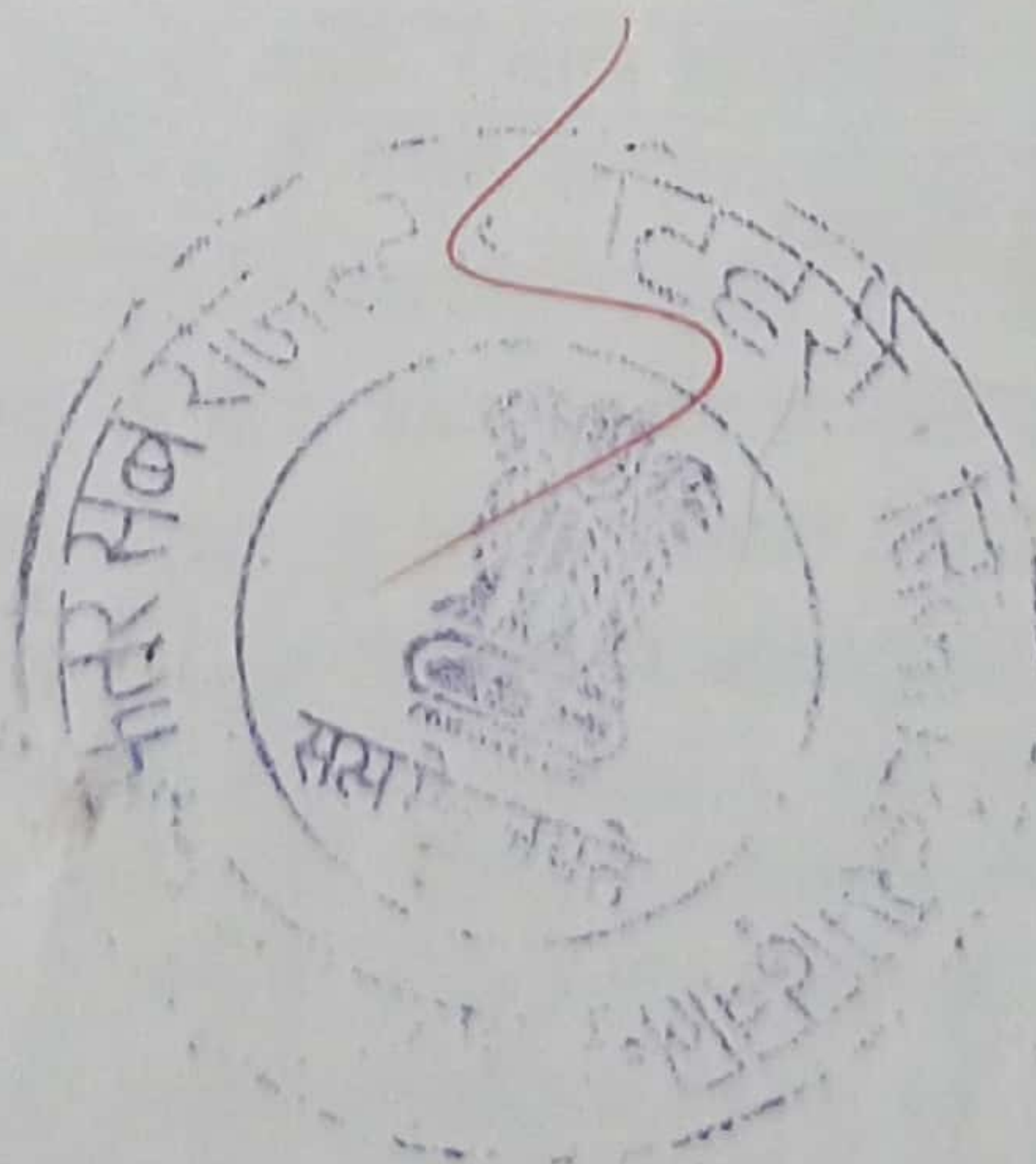
2789 2129 5430

VID : 9170 5987 1646 0133

1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in





कार्यालय: उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)
तहसील भवन, नरेन्द्रनगर, जनपद-टिहरी गढ़वाल।
फोन नं० - 01378-227260
email- ureda.tehri@gmail.com

पत्रांक संख्या 257/उरेडा/मु.मं. सौर स्व०यो/ 2023-24 दिनांक 24 जुलाई, 2024

परियोजना आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री कपिल तनेजा
कृष्णा नगर पो०ऑ० गुरुकुल कांगड़ी
हरिद्वार।

विषय:- "मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत 200 कि०वा० क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट का आवंटन पत्र।

महोदय,

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत आपके online आवेदन के निर्धारित शर्तों के अनुसार परीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत 200 कि०वा० क्षमता का सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लान्ट आपको निम्न शर्तों के आधार पर आवंटित किया जाता है।

क्रम सं०	मद	विवरण
01.	पंजीकरण संख्या-	3163
02.	संयंत्र की क्षमता	200 कि०वा०
02.	निर्धारित विद्युत विक्रय दर	परियोजना की कमीशनिंग की तिथि के सापेक्ष मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर (वर्तमान में रू० 4.64 प्रति यूनिट)
03.	प्रस्तावित स्थापना स्थल (इस आवंटन पत्र के सापेक्ष परियोजना की स्थापना अन्य जनपद में किया जाना अनुमन्य नहीं है)	ग्राम खान्दी, जाखणीधार, टिहरी गढ़वाल।
04.	संयंत्र की कमीशनिंग हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि	परियोजना आवंटन तिथि से 12 माह के अन्तर्गत
05.	संयंत्र से उत्पादित विद्युत के क्रय की अवधि	संयंत्र की कमीशनिंग तिथि से 25 वर्षों तक

01. योजना हेतु शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 697/I-1/2020-03/02/2020 दिनांक 22 सितम्बर 2020, संशोधित शासनादेश संख्या 72/I-1/2021/03/02/2020 TC दिनांक 25 जनवरी, 2021 एवं 385/I-1/2023-03/02/2020 दिनांक 13 मार्च, 2023 एवं पत्र संख्या- 1058/I-1/2023-03/02/2020(F-File No.30740 दिनांक 06 जुलाई, 2023 से आवंटी भलीभँति भिन्न है।

02. उक्त निर्गत परियोजना आवंटन पत्र (LoA) की तिथि से आवंटी द्वारा 30 दिवस के भीतर Contract Performance Guarantee (50 कि०वा० हेतु रू० 25,000/-, 100 कि०वा० हेतु रू० 50,000/- एवं 200 कि०वा० हेतु रू० 1,00,000/-) उरेडा परियोजना कार्यालय पर FD/CDR/TDR के रूप में जिसकी वैधता न्यूनतम 2 वर्ष हो, जमा की जानी होगी। उक्तानुसार CPG 30 दिवस में जमा न होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। परियोजना स्थापना एवं कमीशनिंग परियोजना आवंटन पत्र (LoA) से 12 माह के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य होगी। उक्तानुसार स्थापना 12 माह के अन्तर्गत न होने पर आवंटन निरस्त कर CPG जब्त कर ली जाएगी।

(Signature)

(Signature)

(Signature)

03. कृपया इस आवंटन पत्र की प्रति के 10 दिवस के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय में सम्पर्क कर पावर परचेज एग्रीमेन्ट (PPA) हस्ताक्षरित करें।
04. पावर परचेज एग्रीमेन्ट तथा आवंटित सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु सूचीबद्ध फर्म को जारी कार्यादेश/कार्यादेश से सम्बन्धित अभिलेख की प्रति उरेडा कार्यालय को भी अभिलेखार्थ उपलब्ध कराये।
05. सोलर पावर प्लान्ट के ग्रिड संयोजन, विद्युत उत्पादन, स्थापना/कमीशनिंग आदि से सम्बन्धित तकनीकी मानक मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा निर्धारित रेग्यूलेशन के अनुसार पूर्ण कराये जाने अनिवार्य होंगे।
06. मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा स्थापना/कमीशनिंग हेतु निम्नवत शर्तें/मानक निर्धारित हैं, जो कि निम्नवत हैं:-

- (a) Installation of energy meter as certified by the concerned Executive Engineer of the distribution licensee.
- (b) Project completion report as verified by UREDA, the State nodal agency.
- (c) Issuance of Clearance Certificate by the Electrical Inspector.
- (d) Further, such generator has to demonstrate minimum 75% Performance Ratio based on the rated installed capacity in kW or MW at the time of inspection for initial commissioning."

Provided that minimum 75% Performance Ratio based on the rated installed capacity in kW or MW is demonstrated within Three months from the date of first injection of power into licensee's grid on compliance of aforesaid pre-requisites.

07. आवेदक द्वारा सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (एम०एन०आर०ई०) द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदण्डों/के अनुरूप पूर्ण करायी जानी अनिवार्य होगी।
08. सम्बन्धित आवंटी/विकासकर्ता द्वारा Commercial Operation Date (COD) की तिथि अनुसार ही मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ पर विद्युत क्रय यू०पी०सी०एल० द्वारा किया जाएगा।
09. संयंत्र की स्थापना के उपरान्त दैवीय आपदा अथवा ऐसे अन्य कारणों से सम्भावित क्षतिपूर्ति हेतु आवंटी द्वारा संयंत्र का बीमा अपने व्यय पर स्वयं कराया जाना होगा।
10. आवंटी द्वारा प्रभावी MSME पॉलिसी के अन्तर्गत लाभ लिये जाने हेतु इस योजना के अन्तर्गत केवल आवंटी द्वारा प्रोपराइटरशिप के रूप में आवेदन किया जाना होगा। अन्य किसी विकल्प पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट अथवा सोसाइटी के रूप में इस योजना के अन्तर्गत स्थापना अनुमन्य नहीं होगी।
11. इस योजना में 01 परिवार से केवल 01 ही आवेदक को 01 ही सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किया जाना है, यदि बिना उरेडा अभिकरण के किसी भी समय एक ही परिवार को दो संयंत्र आवंटन का तथ्य गलत पाया जाता है तो उरेडा द्वारा आवंटन को निरस्त कर जमा सिक्यूरिटी (CPG) जब्त कर ली जायेगी।
12. परियोजना की कमीशनिंग (सी०ओ०डी०) से परियोजना अवधि (25 वर्षों) तक, स्थापित सोलर पावर प्लान्ट का स्वामित्व परिवार के अन्य पात्र सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य को हस्तान्तरित किया जाना मान्य नहीं होगा।

Mukul Singh

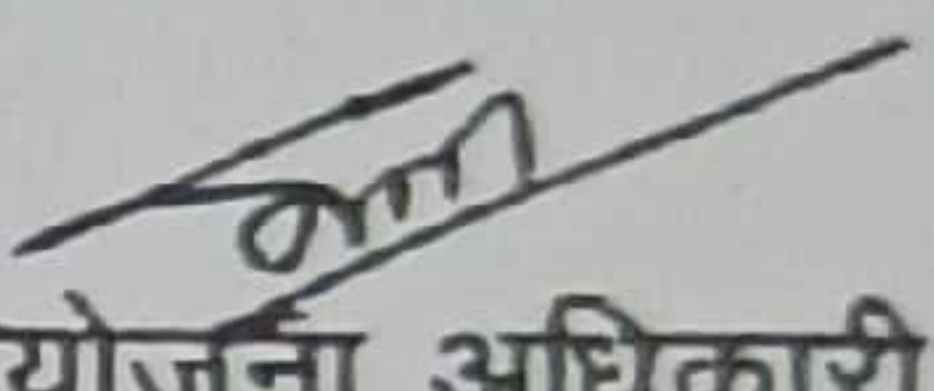
Devide Rastogi

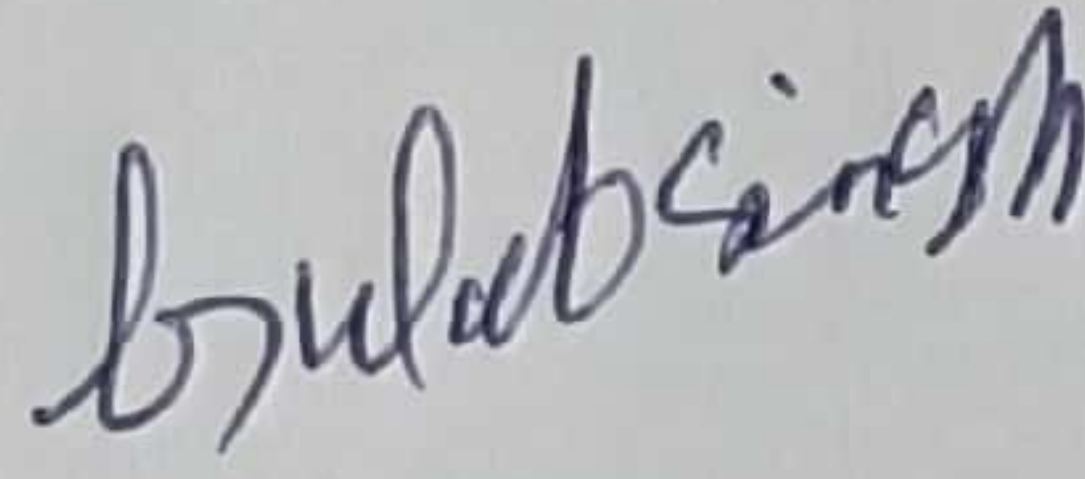
Kapil Kumar Singh

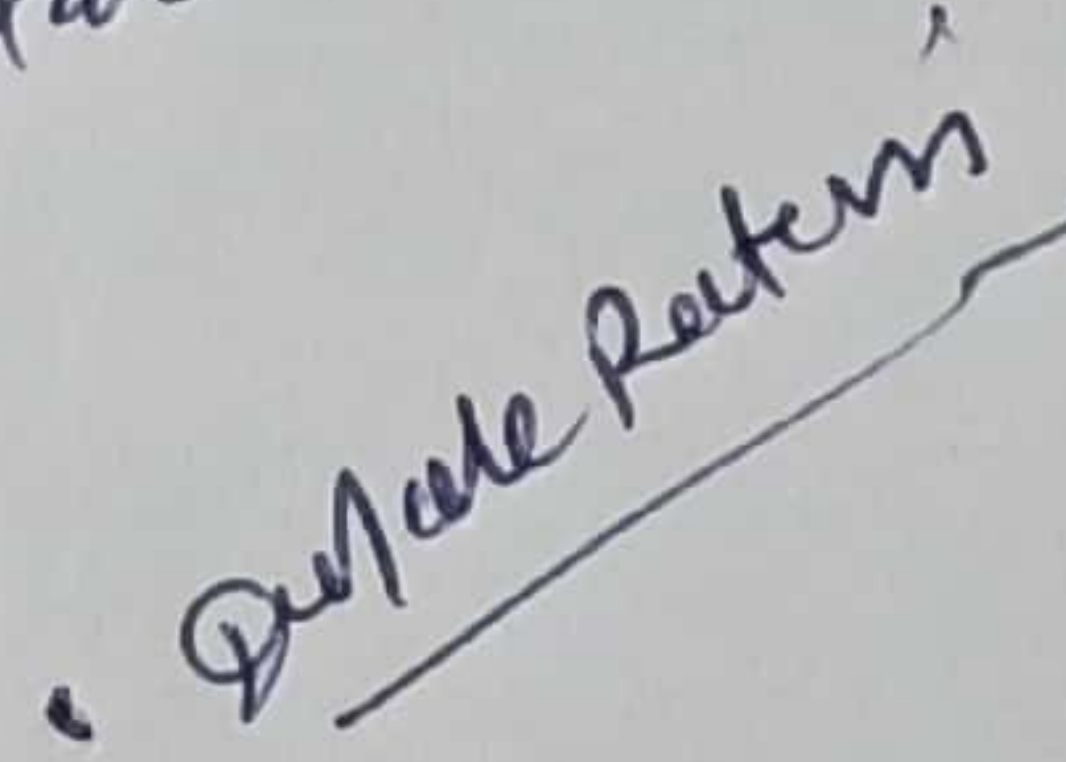


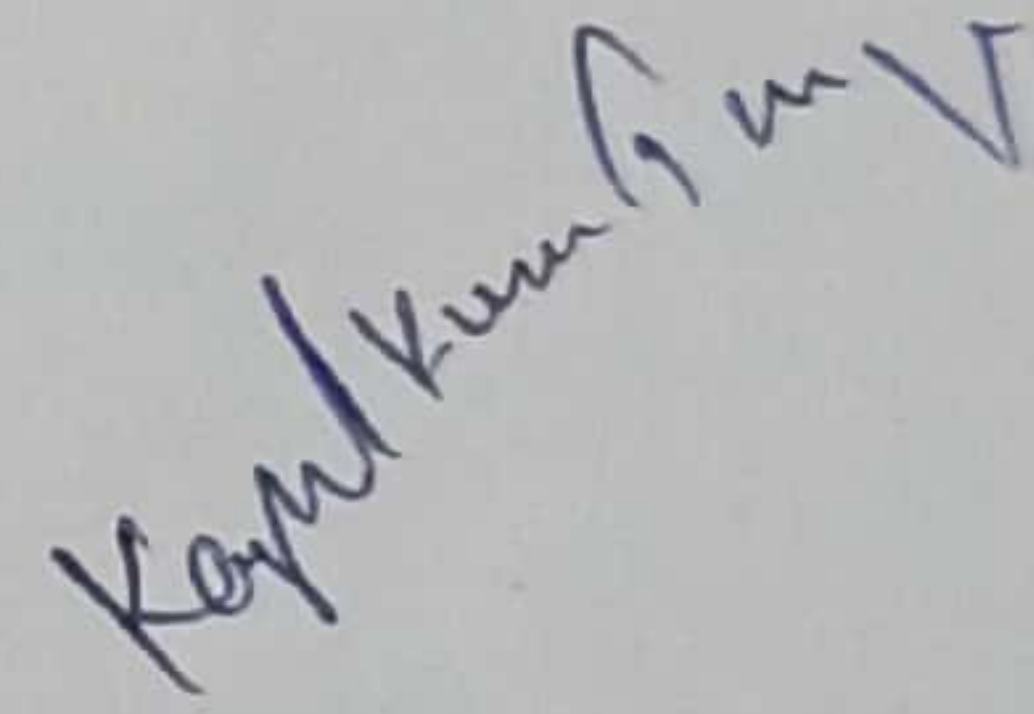
13. स्पष्ट करना है कि उरेडा की भूमिका मात्र सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए आवंटी को सुविधा प्रदान करना है। उरेडा इस योजना के लिए धन की व्यवस्था करने या जारी करने में सम्मिलित नहीं है। किसी भी स्तर पर आवंटी एवं फर्म के मध्य उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार (अनुबन्ध/करार, कार्यादेश, भुगतान, वाद-विवाद आदि) के विवाद के मामले में उरेडा वित्तीय, कानूनी या किसी अन्य प्रकार से उत्तरदायी/जिम्मेदार नहीं होगा।
14. स्पष्ट करना है कि आवंटित सोलर पावर प्लान्ट हेतु उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी MSME Policy-2023 के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोत्साहन एवं लाभ आदि प्राप्त करने हेतु परियोजना आवंटन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त <https://investuttarakhand.uk.gov.in> पर In-Principal approval (Common application form) प्राप्त करना आवश्यक होगा। अन्यथा की दशा में MSME Policy-2023 में निहित प्रोत्साहन एवं लाभ प्राप्त नहीं होंगे।

अतः उपरोक्तानुसार शर्तों का अनुपालन कराते हुये " मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत सोलर पावर प्लान्ट संयंत्र स्थापित कराने का कष्ट करें।

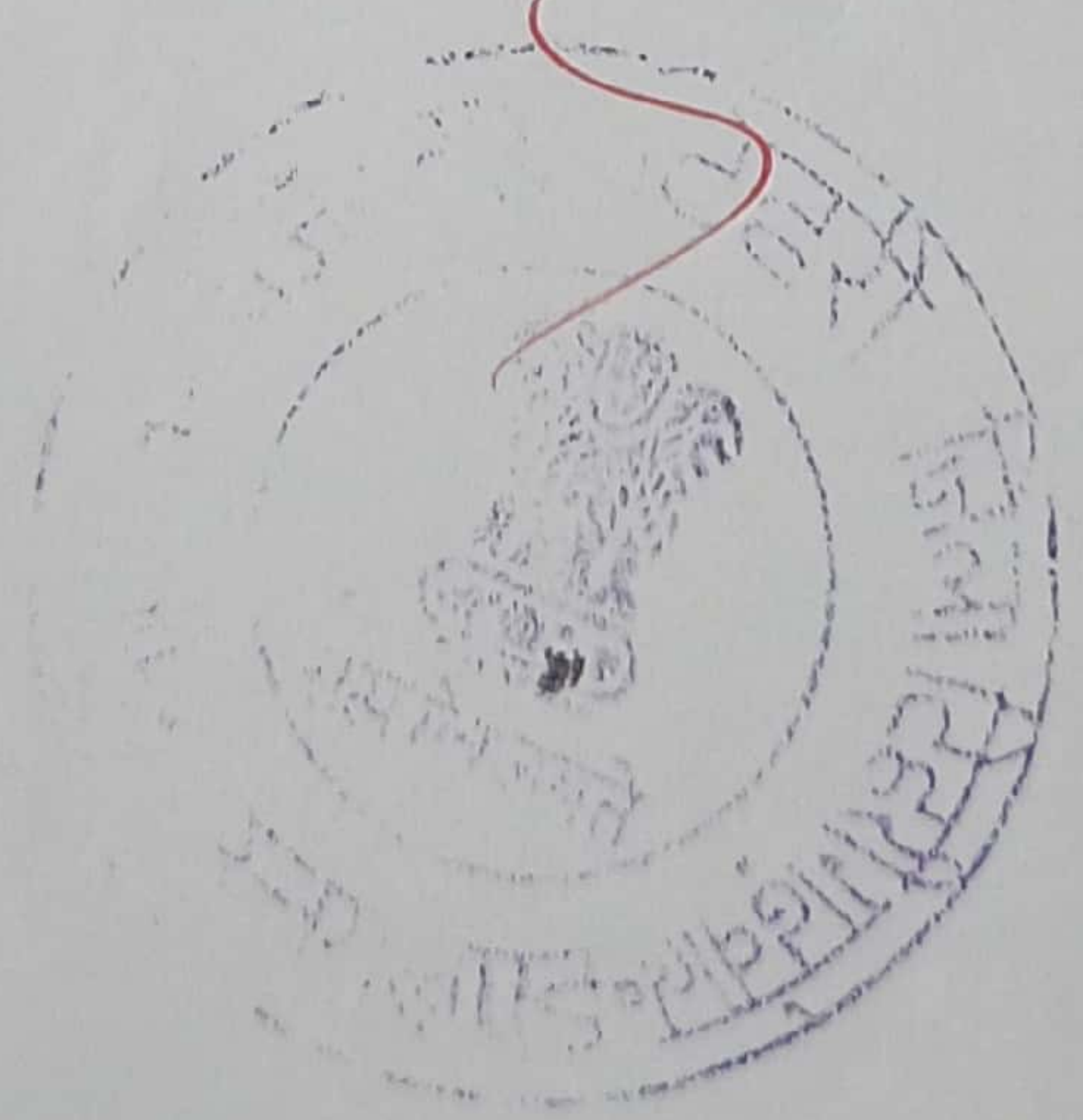

वरिष्ठ परियोजना अधिकारी
उरेडा-टिहरी गढ़वाल







Handwritten text, possibly a signature or date, written in a cursive script.





सत्यमेव जयते



IN-UK35574190535992W

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

₹7,800

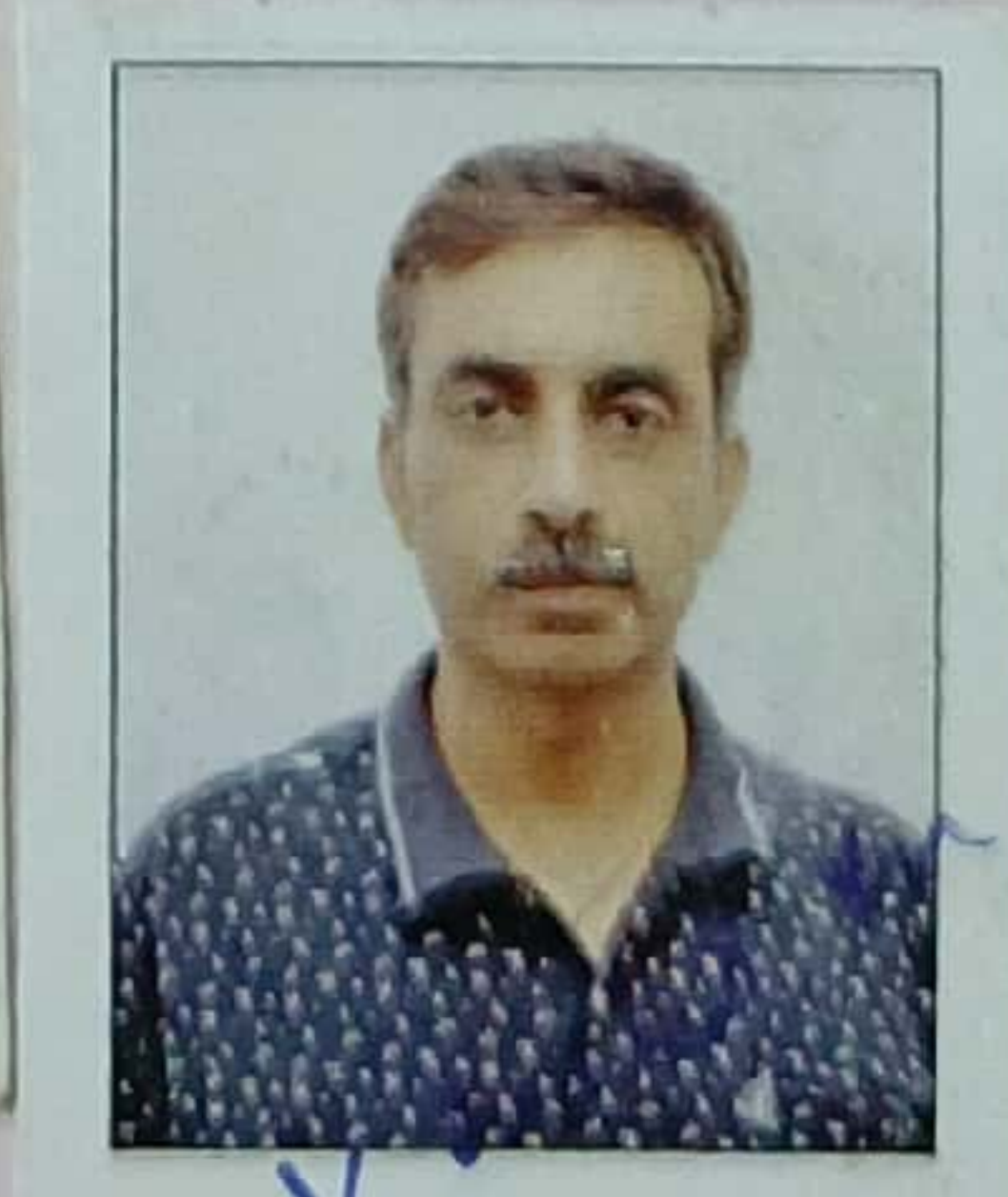
e-Stamp

Certificate No. : IN-UK35574190535992W
 Certificate Issued Date : 31-Jul-2024 12:09 PM
 Account Reference : NONACC (SV)/ uk1229604/ TEHRI/ UK-TG
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK122960478044757889611W
 Purchased by : KAPIL TANEJA
 Description of Document : Article 35 Lease
 Property Description : VILL-KHANDI PATTI-KHAS TEHRI GARHWAL
 Consideration Price (Rs.) : 0
 (Zero)
 First Party : GULAB SINGH DEEPAK
 Second Party : KAPIL TANEJA
 Stamp Duty Paid By : KAPIL TANEJA
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 7,800
 (Seven Thousand Eight Hundred only)



दुर्गा प्रसाद उनियाल
 स्टांप विक्रेता
 कोर्ट कानून नई दिल्ली

Please write or type below this line



Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.sholestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

IE 0025383155

SHCIL

Verified & Locked
Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence."

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."

0052983432

पट्टा विलेख Lease Deed

यह पट्टा विलेख (इसके बाद पट्टा या पट्टा विलेख कहा जायेगा) जुलाई 2024 माह के 31 वें दिन उप निबन्धक कार्यालय नई टिहरी, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड में पक्षकारान के बीच निम्न प्रकार निष्पादित किया जायेगा।

गुलाब सिंह पुत्र श्री मदन सिंह (Adhar no. 561944779175) (Mob.9719537477), निवासी-ग्राम-खांदी, पट्टी खास, तहसील-जाखणीधार, जिला-टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड पिन-249123, हाल-वार्ड सं0-03, जोगियाना, अठूरवाला, देहरादून जिला देहरादून उत्तराखण्ड एवं दीपक पुत्र श्री ओम प्रकाश (Adhar no. 915285346673) (Mob-8755219044), निवासी-ग्राम-खांदी, पट्टी खास, तहसील जाखणीधार, जिला-टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड इसके बाद इन्हे पट्टेदाता/लीज दाता/प्रथम पक्ष कहा जायेगा जिनकी व्याख्या में जब तक सन्दर्भ से परे न हो उनके कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और प्रथम पक्ष के अनुमत नियुक्त होंगे।

एवं

कपिल तनेजा पुत्र श्री अमर नाथ, निवासी-0/1, कृष्णानगर, पो0-गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड (Adhar No-314474395391) (Mob-9837246156)-जिसे इसके बाद इन्हे पट्टेदार/लीज प्राप्त कर्ता/द्वितीय पक्ष कहा जायेगा जिनकी व्याख्या में जब तक सन्दर्भ से परे न हो उनके कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और प्रथम पक्ष के अनुमत नियुक्त होंगे।

Gulab Singh

Deepak

Kapil Taneja

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 329 वर्ष 2024

Lease

Lease(Not exceeding 30 years)

नजराना रु0 : 0.00

औसत वार्षिक

किराया रु0 : 0.00

रजिस्ट्रेशन शुल्क
रु0 3880.00

प्रतिलिपि शुल्क
रु0 100.00

इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग शुल्क
रु0 280.00

कुल योग
रु0 4260.00

शब्द लगभग
1000

श्री कपिल तनेजा पुत्र श्री अमरनाथ निवासी ०/१, कृष्णा नगर, पोस्ट-गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार जिला हरिद्वार ने आज दिनांक 31 Jul 2024 समय मध्य 2PM व 3PM को कार्यालय उपनिबन्धक जाखणीधार मे प्रस्तुत किया।



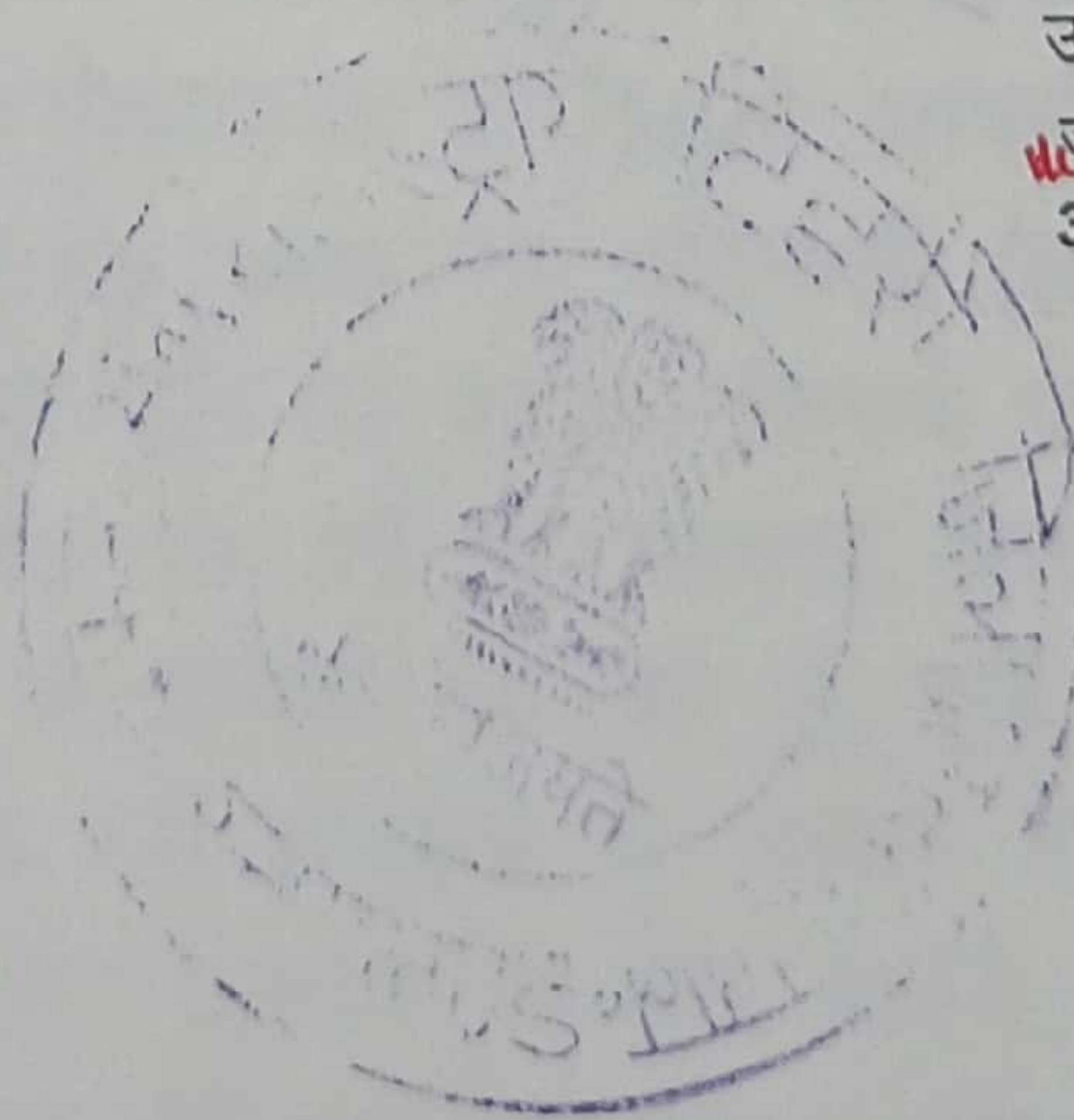
Kapil Tanuja
कपिल तनेजा

Haini
उपनिबन्धक
जाखणीधार
31-Jul-2024

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख मे लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री मदन सिंह निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील-जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड, हाल-वार्ड सं०-०३, जोगियाना, अहूरवाला, देहरादून जिला देहरादून \ श्री दीपक पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील-जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड \ ने नजराना मुबलिग रु0 0.00 प्रलेखानुसार पाकर निष्पादन स्वीकार किया। इस लेखपत्र का निष्पादन द्वितीय पक्ष श्री कपिल तनेजा पुत्र श्री अमरनाथ निवासी ०/१, कृष्णा नगर, पोस्ट-गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार जिला हरिद्वार \ ने भी स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री बिक्रम सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील-जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड तथा श्री सुमित सैनी पुत्र श्री सतीश कुमार निवासी ८५, निजामपुर, हरिद्वार जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड ने की।

Haini
उपनिबन्धक
जाखणीधार
31-Jul-2024



1. यह कि प्रथम पक्ष/पट्टेदाता/लीज दाता ने ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील-जाखणीधार, जिला-टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड पिन-249123 के खतौनी खाता संख्या 00013 फसली वर्ष 1428-1433 में दर्ज खेत संख्या 681 रक्वा 0.028 हे0, खेत सं0-694 रक्वा 0.030 हे0, खेत सं0-695 रक्वा 0.011 हे0 भूमि स्वामी दीपक कुल रक्वा 0.069 हे0 याने 690 वर्ग मीटर खाता सं0-00024 में दर्ज खेत सं0-664 रक्वा 0.010 हे0, खेत सं0-666 रक्वा 0.040 हे0, खेत सं0-665 रक्वा 0.008 हे0, खेत सं0-667 रक्वा 0.035 हे0, खेत सं0-668 रक्वा 0.040 हे0, खेत सं0-669 रक्वा 0.010 हे0, खेत सं0-685 रक्वा 0.005 हे0, खेत सं0-686 रक्वा 0.010 हे0, खेत सं0-687 रक्वा 0.055 हे0 भूमि स्वामी गुलाब सिंह कुल रक्वा 0.213 हे0 याने 2130 वर्ग मीटर दोनों खातों का कुल रक्वा 0.282 हे0 याने 2820 वर्ग मीटर पट्टेदाता/प्रथम पक्ष मालिक सहभूमिधर व कब्जेदार स्वामी है उक्त भूमि को नीचे दी गई शर्तों व निबन्धन के अनुसार उक्त भूमि को पट्टे पर देने के लिए सहमत है, उक्त भूमि 27 साल के पट्टे पर लेना स्वीकार कर लिया है तथा पट्टेदार उत्तराखण्ड वैकल्पिक ऊर्जा अभिकरण (UREDA) के द्वारा 200 कि0वा0 सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के सम्बन्ध में निर्गत परियोजना आवंटन पत्र सं0-257/उरेड़ा मु0मं0 सौर स्व0यो/2023-24 दिनांक 24.07.2024 के क्रम में 200 कि0वा0 सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के प्रयोजन से उक्त भूमि को पट्टे पर ले रहा है।
2. यह कि पट्टा दिनांक 31.07.2024 से प्रारम्भ होकर 30.07.2051 याने 27 वर्ष के लिए रहेगा उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी पट्टेदार को उक्त भूमि की आवश्यकता होगी, तो आपसी समझौते पर पट्टा बढ़ाया जायेगा। पट्टेदार मु0 4200 रु0 प्रतिनाली (लगभग 200 वर्ग मीटर) प्रतिवर्ष की रकम पर उक्त भूमि को पट्टा/किराये पर ले रहा है, यह किराये राशि 10 वर्ष होगी तथा 10 वर्ष के पश्चात् किराया पट्टा राशि 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से प्रत्येक 10 वर्ष में वृद्धि की जायेगी, पट्टेदार उक्त भूमि/सम्पत्ति को इस अनुबन्ध के समाप्त होने के पश्चात् अर्थात् 27 वर्ष होने के पश्चात् फिर उपयोग के लिए चाहेंगे, तो प्रथम पक्ष/पट्टादाता की सहमति के उपरान्त कर सकेंगे। अन्यथा भूमि खाली की जायेगी।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 329 वर्ष 2024



गुलाब सिंह

गुलाब सिंह



दीपक

दीपक



कपिल तनेजा

कपिल तनेजा



विक्रम सिंह

विक्रम सिंह



सुमित सैनी

सुमित सैनी



प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये हैं।

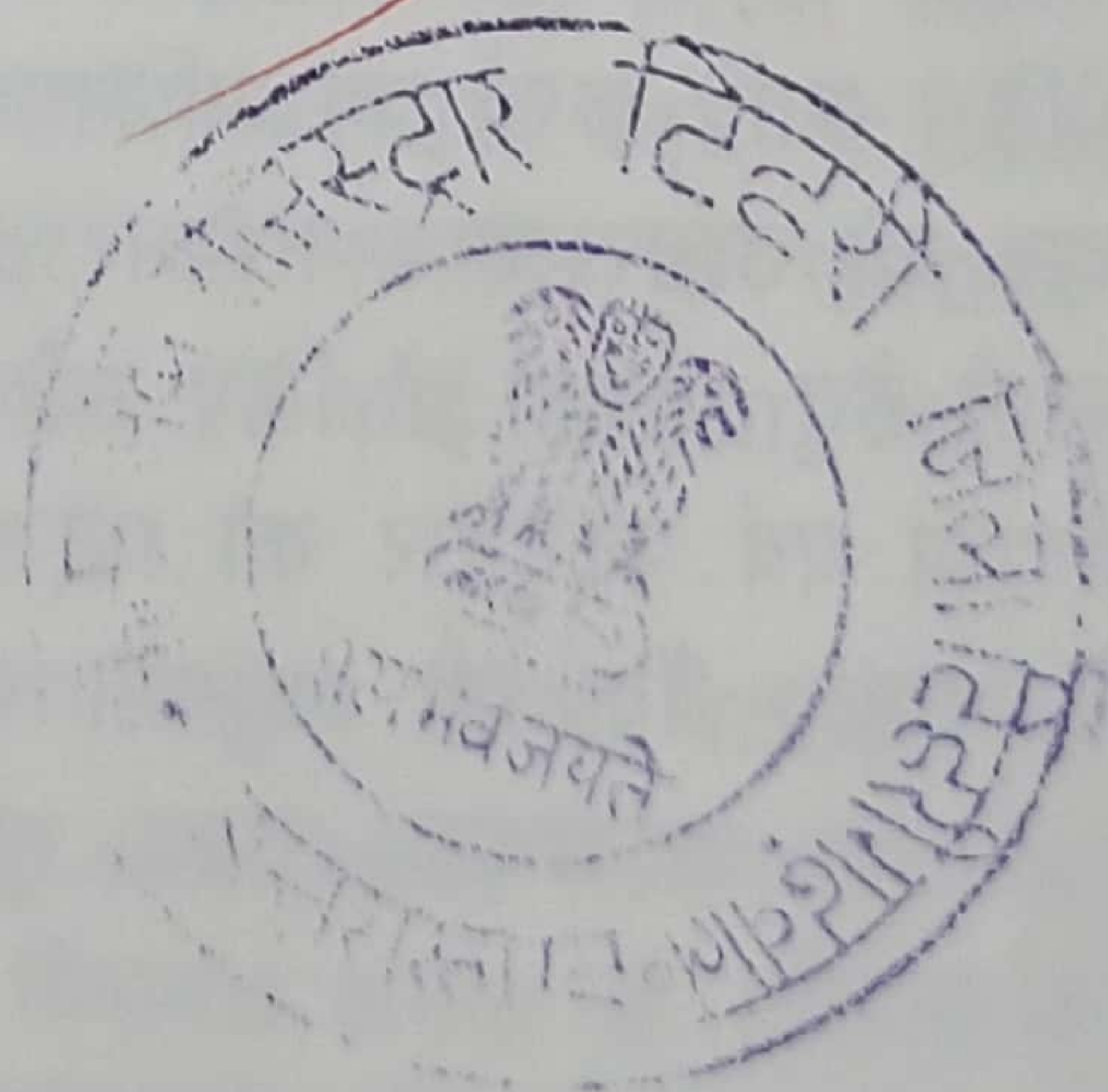
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, जाखणीधार

31 Jul 2024

3. यह कि दोनों पक्षों द्वारा उक्त पट्टे पर दी गई भूमि का वार्षिक किराया वर्तमान में 4200 रु० प्रतिनाली (लगभग 200 वर्ग मीटर) प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है, प्रथम 10 वर्ष के लिए 5,92,200 रु०, द्वितीय 10 वर्ष के लिए 6,51,420 रु० तथा अन्तिम 7 वर्ष के लिये 5,01,593.40 रु० याने कुल 27 वर्ष का किराया मु० 17,45,213.40 रु० तथा औसत वार्षिक किराया 64,637.53 रु० होता है तथा प्रतिमाह औसत किराया 5386.46 रु० होता है।
4. यह कि पट्टे पर दी गई भूमि से सम्बन्धित कोई कर या अन्य परिभार समय-समय पर जो कि किसी भी अवधि के लिए देय होगा, पट्टेदार द्वारा अदा किया जायेगा, पट्टेदार अपने नाम से उक्त भूमि पर विद्युत कनेक्शन, जल संयोजन व अन्य उपयोग के कनेक्शन इत्यादि व सौन्दर्यकरण करवा सकता है।
5. यह कि पट्टे पर दी गई भूमि का पट्टेदार को वैधानिक रूप से सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए जैसे चाहे इस्तेमाल, उपयोग, उपभोग करने का अधिकार होगा तथा उक्त भूमि पर पट्टेदार को किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत या व्यावसायिक उपयोग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का सामान आदि रखने किसी प्रकार का स्थाई निर्माण तथा किसी भी प्रकार की लोडिंग, अनलोडिंग आदि करने का अधिकार होगा।
6. यह कि पट्टेदार को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उक्त वैकल्पिक सोलर पावर प्लांट लगाये जाने हेतु 25 वर्ष के लिए स्वीकृति मिल चुकी है।
7. यह कि पट्टादाता एवं पट्टेदार को पट्टा अनुबन्ध की अवधि के दौरान अनुबन्ध को ऋणदाता बैंक की अनुमति के बिना समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। पट्टादाता उक्त भूमि को उक्त अवधि के दौरान विक्रय नहीं कर सकेंगे।
8. यह कि उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 1406/XVIII(II)2019-20(78)2018 द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदार और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) की धारा-150(क) एवं धारा 156 का संशोधन अध्यादेश दिनांक 18.11.2019 के अनुसार भूमि लीज पर दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

Signature
Signature

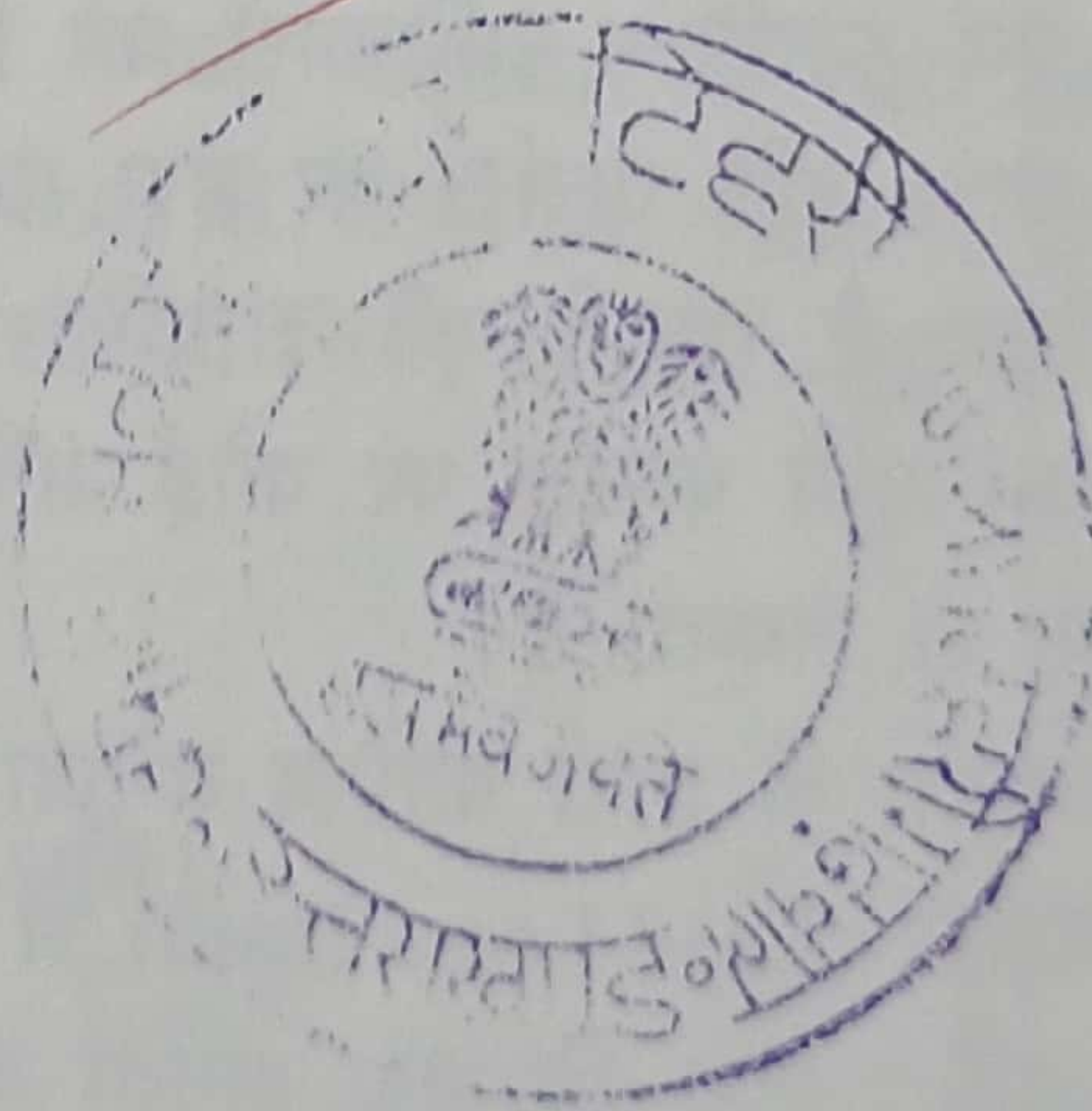
Signature



9. यह कि लीजशुदा भूमि का वार्षिक औसत किराया मु0 64,637.53 रु0 है तथा उक्त किराया के 6 गुना मु0 3,88,000 रु0 पर निर्धारित स्टाम्प शुल्क मु0 7800 रु0 अदा किया गया है।
10. यह कि इस पट्टे विलेख में बताये गये अनुसार पट्टादाता यह पुष्टि करता है कि पट्टेदार को परियोजना व इस पट्टे विलेख में दी गई जमीन के पट्टा अधिकारों को किसी भी वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने व किसी भी सिक्यूरिटी/गिरवी रखने के लिये पट्टेदाता से अनुमति या अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल करने की कोई जरूरत नहीं होगी और इस पट्टे में पट्टेदार के अधिकार एवं हित ऋणदाताओं के पक्ष में कर सकता है, जिनमें उनके प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, हस्तांतरण, और नियुक्त सम्मिलित है, (परियोजना के लिये ऋणदाता और पट्टेदार इस परियोजना के लिये हासिल किये गये या हासिल किये जाने वाले ऋण के भुगतान के लिये एक सिक्युरिटी के रूप में रख सकेगा, हालांकि परियोजना के ऋणदाताओं या पट्टेदार का कोई भी अधिकार पट्टे की अवधि से अधिक नहीं होगा जब तक की दोनों द्वारा इसे विस्तारित करने के लिये लिखित में कोई घोषणा नहीं होती है,) पट्टेदाता परियोजना के लिए पट्टेदार के द्वारा लिये गये किसी भी ऋण के लिये जिम्मेदार नहीं होगा, पट्टेदार के पास भूमि पार्सल का स्वामित्व एवं स्वामित्व अधिकारों को गिरवी रखने का अधिकार नहीं है, परन्तु उसके पास भूमि पार्सल पर इस पट्टे के अधिकारों को गिरवी रखने का हक हासिल है, पट्टे की समाप्ति के उपरान्त पट्टेदार एवं उसके ऋणदाताओं का भूमि पार्सल पर कोई अधिकार नहीं होगा, भूमि पर बैंक से पट्टादार ऋण ले सकता है।
11. यह कि पट्टादाता के द्वारा कपिल तनेजा, पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) से सम्बन्धित भूमि के सापेक्ष उस पर प्रस्तावित/स्थापित 200 कि0वा0 क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रके विरुद्ध बैंक ऋण बकाया होने की अवधि तक या भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) विद्यमान रहने की अवधि तक, जो भी अधिक हो, किसी भी प्रकार का कोई अन्य ऋणभार (Encumbrance) पट्टादाता के द्वारा नहीं लिया जायेगा।

Mulabazich
Mukle Ratun

Kapil Kumar



12. यह कि पट्टादाता एवं कपिल तनेजा पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) ऋण के बकाया होने की तिथि तक उस बैंक, जिसके द्वारा कपिल तनेजा को 200 कि०वा० क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिये ऋण उपलब्ध कराया गया है, की सहमति के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता है। तथापि ऋणदाता बैंक के द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋण के समाप्त हो जाने के उपरान्त यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) पट्टादाता एवं कपिल तनेजा की आपसी सहमति से समाप्त किया जा सकता है।
13. यह कि पट्टादाता एवं कपिल तनेजा, पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) दिनांक 31.07.2024 से प्रारम्भ होकर 30.07.2051 याने 27 साल की अवधि तक वैध होगा एवं इसमें दी गयी विभिन्न शर्तें दोनों पक्षों पर लागू होंगी।
14. यह कि यदि ऋणदाता बैंक के द्वारा कपिल तनेजा पट्टेदार को Defaulter घोषित कर दिया जाता है तो उस स्थिति में ऋणदाता बैंक इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) को किसी अन्य पक्ष को नियमानुसार प्रतिस्थापित कर सकता है।
15. यह कि पट्टादाता का प्रस्तावित/स्थापित 200 कि०वा० क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों पर किसी भी प्रकार को कोई हक/अधिकार नहीं होगा।
16. यह कि पट्टादाता एवं कपिल तनेजा, पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) से सम्बन्धित विवरण संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। उक्त भूमि की सीमायें निम्न से घिरी हुई है:—
पूर्व:— प्रतिमा देवी की भूमि।
पश्चिम:— रास्ता।
उत्तर:— प्रमोद की भूमि।
दक्षिण:— जगदम्बा प्रसाद की भूमि।

Arul Singh
Arul Singh

Kapil Kumar Singh



प्रथम पक्ष/पट्टा दाता (गुलाब सिंह) की उंगलियों की छाप—

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान						
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों के निशान						

प्रथम पक्ष/पट्टा दाता (दीपक) की उंगलियों की छाप—

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान						
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों के निशान						

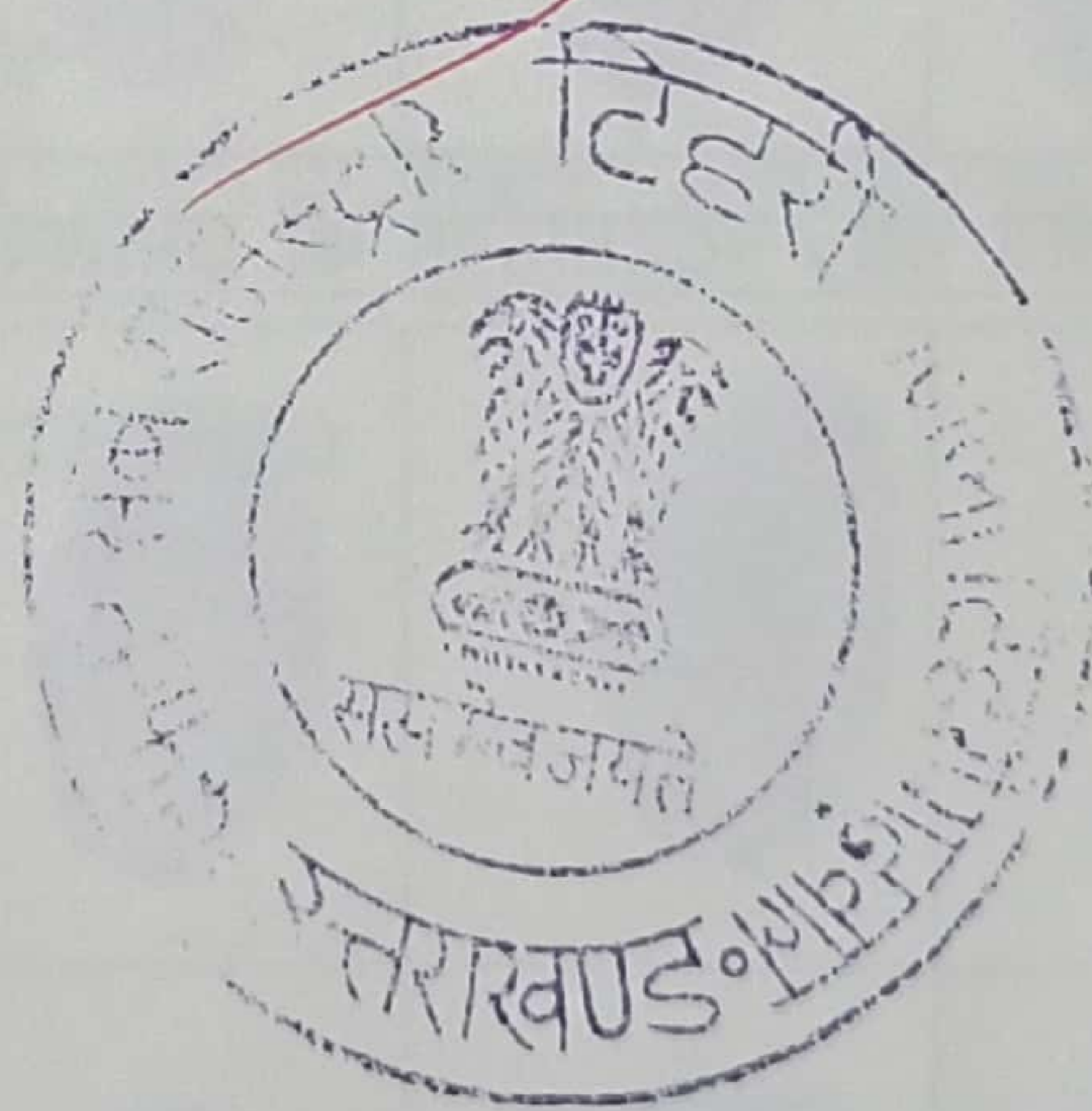
द्वितीय पक्ष/पट्टाग्रहीता की उंगलियों की छाप—

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान						
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों के निशान						

Deekle Patni

Gulab Singh

Kapil Kumar Singh



अतः आज दिनांक 31.07.2024 को इस अनुबन्ध को करने वाले पट्टादाता/पट्टेदार निम्न गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर करके निष्पादित किया जाता है।

Harsh Singh

ह0 प्रथम पक्ष/पट्टादाता

Durkela, Zestun

Kapil Kumar Singh

ह0 द्वितीय पक्ष/पट्टेदार

रचियता

देवेन्द्र दुमोगा

एडवोकेट

देवेन्द्र सिंह दुमोगा
एडवोकेट

वेक्टर बंग-05, मो.-9412071539
कोर्ट कम्पाउण्ड जई टिहरी
नं-सी-UK-2234/04, UP-1149/92

गवाह

बिक्रम सिंह

1. बिक्रम सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह, निवासी-ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

आधार नं0-460529151389

Mob.9897501756

2. सुमित सैनी पुत्र श्री सतीश कुमार, निवासी-85, निजामपुर, हरिद्वार जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड।

आधार नं0- 278921295430

Mob. 9675988009

बही संख्या 1 जिल्द 64 के पृष्ठ 1 से 28 पर क्रमांक 329 पर आज दिनांक

31 Jul 2024 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

Haini

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, जाखणीधार

31 Jul 2024

